संजय गांधी स्नाताकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Science,
Raibareli Road, Lucknow- 226 014(U.P.), INDIA
Phones:0552-2998004-8,2668700-800-900 Fax:91-0522-2668017,2668078
Web site: www.sgpgi.ac.in

पत्रांक : पी0जी0आई0 / चि0अ0 / अधि0 / आर0एस0डी0–2305 / एफ0 / 4908 / 2016 दिनांक 30 अगस्त,2016

परिपत्र

उ0प्र0 शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 740 / 71–1–2016–जी–301–2011 दिनांक 11 मार्च 2016 द्वारा इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होनें के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की समस्त सेवाओं, जिसमें आपातकालीन सेवायें भी सम्मिलित हैं, में हडताल निषिद्व कर दी गयी है। जिसके सन्दर्भ में संस्थान द्वारा परिपत्र सं0 पी0जी0आई0 / चि0अ0 / अधि0 / आर0एस0डी0–एफ0 / 1133 / 2016 दिनांक 14–03–2016 के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई थी।

उक्त के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 5362 (एम0बी0) / 2016 पर पारित आदेश दिनांक 14 मार्च 2016 एवं इस कम में संस्थान द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 10016 / पी0जी0आई0 / डी0आई0आर / डी0सी0 / 2016 फाईल आर0एस0डी02303 / 16 दिनांक 27–7–2016 के माध्यम से जारी आदेशों के अर्न्तगत दिनांक 02–09–2016 से अनिशिचित कालीन हडताल पर जाना पूर्णतया उल्लंघन है।

अतः पुनः उपरोक्त के संबंध में समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 02–09–2016 से प्रस्तावित अनिशिचित कालीन हडताल संस्थान की आपात कालीन सेवाओं सहित सभी सेवाओं में निषिद्व है अतएव यदि किसी कर्मचारी / अधिकारी को एस्मा (अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966) के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा एसमा के प्राविधानों के अनर्तग्त कानूनी कार्यवाही करना संस्थान प्रशासन की बाध्यता होगी।

संकाय सदस्यों / अधिकारियों / कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त आदेशों का किसी भी दशा में विचलन नहीं करेंगें।

(प्रो0 पी0के0 सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– अपर निदेशक।
2– संकायाध्यक्ष।
3– कार्यपालक कुलसचिव।
4– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
5– संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
6– संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन)
7– वित्त अधिकारी।
8– समस्त विभागाध्यक्ष।
9– वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी।
10– प्रो0 सी0एम0 पाण्डेय, विभागाध्यक्ष– बायोस्टेटिक्स एण्ड हेल्थ इर्न्फामेटिक्स को वेबसाइट पर अपलोड करनें हेतु।
11– सम्पत्ति अधिकारी।
12– फैकल्टी इन्चार्ज।
13–अधिशाषी अभियन्ता(सिविल)
14–अधिशाषी अभियन्ता(विद्युत)
15–प्रभारी अधिकारी वाहन विभाग।
16– सूचना पट्ट / वेबसाइट के माध्यम से समस्त संकाय सदसरुों / अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचनार्थ।
17– संबंधित पत्रावली।
18– गार्ड पत्रावली।

(प्रो0 पी0के0 सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

Department of Biostatistics & Health Informatics S.G.P.G.I.M.S., Lucknow
Diary No.
Date
MR. RAVINDRA AGARWAL
30 AUG 2016